जनपद - संतकबीरनगर　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　दिनॉक 13-06-2021

आज दिनांक 13.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के अभियुक्त नाम पता विजय पुत्र नन्दु निवासी नोकटा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना महुली पर मु0अ0सं0 186 / 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी मुखलिसपुर उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह, कां0 अजीत पासवान।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मोहम्मद अफजल पुत्र रईस निवासी पठानटोला थाना कोतवाली खलीलाबाद को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- प्रभारी चौकी बरदहिया उ0नि0 श्री वीरेन्द्र मिश्रा मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 19 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

<u>पीआरवी आफ द डे</u>

<u>पीआरवी 1496 द्वारा नदी मे डूब रही महिला की स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से बचाई गई जान</u> – पीआरवी <u>1496</u> को थाना मेहदावल क्षेत्रान्तर्गत थरौली से इवेन्ट संख्या 02817 से कालर ने एक महिला के नदी में डूबने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से डूबती हुई महिला को नदी से निकलवाकर उसकी जान बचाई गई तथा इस संबंध मे थाना मेहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर उक्त महिला की जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 संतराम चौधरी, मु0आ0 अशोक प्रसाद, हो0चा0 संतोष दूबे।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 190 वाहनो से 187500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 13.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 190 वाहनो से 187500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।